ग्राम पंचायत क्यारवाँ, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत क्यारवाँ, विकास खण्ड सुलह (भेडू महोदव), जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती कुसुम लता	1.4.14 से 22.1.16
2	श्री मस्त राम	23.1.16 से लगातार

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री अनूप राणा	1.4.14 से 31.3.2017

(ख) गम्भीर अनियमिततओं का सारः–

ग्राम पंचायत क्यारवाँ के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखो में)
1	8	अनुदान राशि का उपयोग न करना	7.21
2	9	निर्माण कार्यों का प्राक्कलन तैयार किये बिना व्यय करना	4.24

3	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.26
4	11	माप पुस्तिका में कुल कार्य प्रगति से संविदाकार लाभ व अन्य व्यय की 15% राशि कम न करने के कारण अधिक भुगतान	0.21
5	12	क्रय मदों के आगामी निपटारे से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	2.52

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत क्यारवाँ, विकास खण्ड सुलह (भेडू महादेव) जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी एवं श्री ध्रुव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षा द्वारा दिनांक 11.9.2017 से 14.9.2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय की जाँच के लिए चयनित माह	व्यय की जाँच के लिए चयनित माह
2014–15	8/2015	1/2015
2015–16	3/2016	6/2015
2016–17	3/2017	3/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत क्यारवाँ, विकास खण्ड सुलह (भेडू महादेव), जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना

संख्या 005 दिनांक 14.9.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत क्यारवाँ से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव ग्राम पंचायत क्यारवाँ द्वारा ड्राफ्ट संख्या 522785 दिनांक 18.9.17 पंजाब नैशनल बैंक गढ जमुला द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत क्यारवाँ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) स्वः स्त्रोत एवं अनुदान (विविध)ः–

ग्राम पंचायत क्यारवाँ के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानों (विविध) की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

		प्राप्ति				व्यय	अन्तिम शेष
वर्ष	**अथशेष**	**स्वःस्त्रोत**	**अनुदान**	**योग**	**स्वःस्त्रोत**	**अनुदान**	
2014–15	312560.78	4400	532575.50	889156.28	7488	257495	624173.28
2015–16	624173.28	23308	836606.50	1484087.78	4891	793578	685618.78
2016–17	685618.78	55567	419722.00	1160907.78	31983	296426	832498.78

दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष		
रोकड़ बही	₹832498.78	
बैंक (निम्न विवरण अनुसार)	₹832068.78	₹832498.78
हस्तगत राशि	**₹430**	
दिनांक 1.4.2014 को अन्तशेष		
रोकड़ बही	—	
बैंक	312091.78	
हस्तगत राशि	469.00	
	312560.78	

ग्राम पंचायत क्यारवाँ
विकास खण्ड सुलह (भेडू महादेव)
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

क्र0 सं0	बैंक	खाता सं0	दिनांक 1.4.14 को अथशेष	दिनांक 31.3.17 को अन्तशेष
1	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक डरोह	20093003929	288828.00	381986.00

2	पंजाब नैशनल बैंक पुडवा	2459000100011454	23263.78	450082.78
	कुल राशि		**312091.78**	**832068.78**

(ख) मनरेगाः—

ग्राम पंचायत क्यारवाँ के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के मनरेगा के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014—15	0	132703	132703	132703	0
2015—16	0	183216	183216	183216	0
2016—17	0	669125	619125	669125	0

दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष

रोकड़ बही 0

बैंक 0

पंजाब नैशनल बैंक पुडवा खाता संख्या 2459000100213474

दिनांक 1.4.2014 को अथशेष

रोकड़ बही 0

बैंक 0

(ग) आई0डब्लयू0एम0पी0 (IWMP) हरियाली परियोजनाः—

ग्राम पंचायत क्यारवाँ के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 (IWMP) आई0डब्लयू0एम0पी0 (हरियाली परियोजना) की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तशेष**
2014—15	300235	13404	313639	23334	290305
2015—16	290305	11890	302195	51212	250983
2016—17	250983	6662	257645	149462	108183

दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष

रोकड़ बही 108183

बैंक 108183

पंजाब नैशनल बैंक, पुडवा	दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष	दिनांक 1.4.14 को अथशेष
खाता संख्या 2459000100209994	2539	209600
खाता संख्या 2459000100213979	105644	91956
	108183	301556

नोटः— दिनांक 1.4.2014 को अथशेष

जमाः—	बैंक पास बुक	301556
	हस्तगत राशि	(+) 643
घटानाः—	वर्ष 2013—14 में रोकड़ बही में व्यय की प्रविष्टि की गई परन्तु दिनांक 5.4.14 को बैंक से निकासी हुई	(—) 1964
	कुल शेष (दिनांक 1.4.2014 को)	300235

नोटः— ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण (रोकड़ बही अनुसार) इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 1 से 3** में दिया गया है।

5 रोकड़ बहियों का रख—रखाव नियमानुसार न करनाः—

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख—रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में न तो अथशेष व अन्तिम शेष से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज की जा रही है और न ही पंचायत की आय व प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ रोकड़ बहियों में दर्ज की जा रही है। पंचायत द्वारा केवल मात्र प्राप्त आय व व्यय को ही रोकड़ बही में दर्ज कर उसका शेष शून्य कर दिया जा रहा है जो न केवल अनियमित व आपत्तिजनक है अपितु लेखांकन के सिद्धान्तों के विरूद्ध भी है, क्योंकि नियमानुसार रोकड़ बहियों के अथशेष में प्राप्त आय को जमा करने के उपरान्त एवं व्यय की प्रविष्टियों को उससे कम किया जाता है तथा प्राप्त अन्तिम शेष की प्रविष्टियों को आगामी कार्य दिवस/पृष्ठ में अथशेष के रूप में दर्शाया जाता है। किन्तु पंचायत द्वारा रोकड़ बही के लेखन में नियमानुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की पूर्ण अवहेलना की जा रही है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए रोकड़ बहियों का रख रखाव

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 एवं 10 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में अथशेष व अन्तिम शेष न दर्शाए जाने के कारण पंचायत की वित्तीय स्थिति (अंकेक्षण अवधि) दर्शाने/बनाने हेतु 01.04.2014 को पंचायत से सम्बन्धित रोकड़ बही के बचत खातों में जमा शेष राशि को वर्ष 2014–2015 का अथशेष के रूप में दर्शाया गया है।

अतः पंचायत को अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों को नियमानुसार लिखा जाना सुनिश्चित करते हुए भविष्य में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

6 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व की ₹1100 का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत के राजस्व ₹1100 की वसूली शेष थीः–

गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014–15	410	3520	3930	3245	685
2015–16	685	3680	4365	–	4365
2016–17	4365	3710	8075	6975	1100

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली शीघ्र करना सुनिश्चित की जाए।

8 अनुदान ₹7.21 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायतों द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट–4"** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹721376 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पचांयत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर के उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

9 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹4.24 लाख का अनियमित व्यय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "5"** में दिये गये विवरणानुसार निर्माण कार्यों में ₹424065.55 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किया बिना ही किया गया जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित और आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों में किए जाने वाले व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोतों से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.26 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–6** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹126411 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इन अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 माप पुस्तिका में कुल कार्य प्रगति से संविदाकार लाभ व अन्य व्यय (Contractor Profit & overhead charges) की 15% राशि कम न करने के कारण ₹0.21 लाख की मजदूरी का अधिक भुगतान करनाः–

ग्राम पंचायत क्यारवाँ द्वारा मजदरों से करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यों की कार्य प्रगति की जाँच सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं से करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संलग्न विवरणानुसार **(परिशिष्ट–7)** माप पुस्तिकाओं में उक्त वर्णित कार्यों की कार्य प्रगति में से संविदाकार लाभ व अन्य व्यय (Contractor profit and overhead charges) के रूप में 15 % राशि को कुल कार्य प्रगति में से कम नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार विभागीय स्त्तर पर कार्य करवाये जाने के कारण माप पुस्तिका में दर्शाई गई कुल कार्य प्रगति में से 15% राशि की कटौती Contractor profit and overhead charges के रूप में करने उपरान्त शेष कार्य प्रगति अनुसार ही मजदूरों को मजदूरीं का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

पंचायत द्वारा उक्त वर्णित 15% की राशि को कुल कार्य प्रगति से कम न करने के कारण मजदूरों को मजदूरी के रूप में ₹20714 **(परिशिष्ट–7)** का अधिक भुगतान किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली यथाशीघ्र उत्तरदायी से की जाए एवं पंचायत निधि में जमा करवाने उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त भविष्य में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये विभागीय स्तर पर करवाये जाने वाले निर्माण कार्यों में से कुल कार्य प्रगति में से **15%** राशि की कटौती (Contractor Profit & overhead charges) सुनिश्चित की जाए।

12 ₹2.52 लाख के व्यय से सम्बन्धित क्रय सामान के आगामी निपटारे से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः—

ग्राम पंचायत क्यारवाँ, विकास खण्ड सुलह द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में ₹251667.50 **(परिशिष्ट—5)** के भुगतान विभिन्न फर्मों को पंचायत में चल रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग हेतु क्रय किये गये विभिन्न सामग्री हेतु दर्शाया गया है, किन्तु पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उक्त वर्णित राशि द्वारा क्रय विभिन्न सामग्री के आगामी निपटारे से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में क्रय की गई सामग्री/भुगतान को नियमित/उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

अतः निम्न वर्णित वाउचरों/बिलों द्वारा क्रय की गई विभिन्न सामग्री के आगामी निपटारे से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इस समस्त राशि की वसूली सम्बन्धित से करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवाई जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 मजदूरों को किये गये मजदूरी के ₹0.25 लाख के भुगतान की कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः—

ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान की रोकड़ बही में से ₹24532 का भुगतान मजदूरों को उनकी मजदूरी के एवज में किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित हैः—

क्र0सं0	वर्ष	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	वा0सं0	दिनांक	राशि (₹)	कार्य का नाम
1	2015—16	1	1.5.15 से 31.5.15	30	10.6.15	12060	रिपेयर पंचायत कार्यालय
2	2016—17	01	11.2.17 से 28.2.17	34	10.3.17	6368	रिपेयर महिला मण्डल क्यारवां
3	2016—17	02	13.2.17 से 28.2.17	35	10.3.17	6104	रिपेयर पंचायत कार्यालय
					योग	**24532**	

पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उक्त वर्णित मस्ट्रोलों के माध्यम से करवाये गये कार्य की कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में इस बात की जाँच वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी कि वास्तव में मजदरों द्वारा किये गये कार्य की प्रगति अनुसार उन्हें उतनी मजदूरी देय थी अथवा नही? अतः उक्त वर्णित मस्ट्रोलों/वाउचरों द्वारा करवाये गये कार्य की कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जाए ताकि उनकी तदानुसार जाँच की जा सके।

14 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व अन्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों व अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विनिधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1) 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन रजिस्टर	11 व 12	37, 38
6	अनुपभोज्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री से भिन्न उपभोज्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आंकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

15 प्रत्यक्ष सत्यापन:–

हिमाचल प्रदेश (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत के द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 निष्कर्षः— लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 153 / 2017—खण्ड—1—1719—1722 दिनाँक 07.03.2018 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह जिला काँगड़ा, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत क्यारवाँ, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881